भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 5456
दिनांक 03 अप्रैल, 2025

दिल्ली में नए पेट्रोल पंप/गैस स्टेशन खोलना

5456. **श्री उज्जवल रमण सिंह:**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में किन राज्यों में नए पेट्रोल पंप/गैस फिलिंग स्टेशन खोले गए हैं;
(ख) क्या विगत वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नए पेट्रोल पंप/गैस फिलिंग स्टेशन खोले गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में छतरपुर से भाटी माइंस तक लगभग 15 किलोमीटर के क्षेत्र में केवल एक पेट्रोल पंप और एक आईजीएल गैस स्टेशन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार पेट्रोल और गैस वाहनों की बढ़ती संख्या और जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में नए पेट्रोल पंप/गैस फिलिंग स्टेशन खोलने की योजना बना रही है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क): दिनांक 01.04.2002 से प्रशासित मूल्य व्यवस्था (एपीएम) को विघटित करने के बाद, खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओ) डीलरों का चयन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) द्वारा स्वयं ही किया जाता है।

पीएसयू ओएमसीज द्वारा आरओ नेटवर्क (शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में) का विस्तार करना एक सतत प्रक्रिया है जिससे देश भर में पेट्रोल और डीजल जैसे मोटर ईंधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। क्षेत्र सर्वेक्षण और व्यवहार्यता अध्ययन के आधार पर पीएसयू ओमसीज द्वारा पहचाने गए स्थलों पर आरओज की स्थापना की जाती है। पर्याप्त संभाव्यता वाले स्थल और आर्थिक रूप से व्यवहार्य स्थलों पर आरओज स्थापित करने के लिए इसे विपणन योजना में नामांकित किया जाता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) स्टेशनों की स्थापना करना नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के विकास का हिस्सा है और यह काम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा प्राधिकृत कंपनियों द्वारा किया जाता है जो अपनी न्यूनतम कार्य-कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) और तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर सीएनजी स्टेशनों को स्थापित करती है।

पिछले वर्ष 2023-24 और चालू वर्ष 2024-25 में देश में कमीशन किए गए खुदरा बिक्री केन्द्रों और सीएनजी स्टेशनों की राज्य/यूटी-वार संख्या क्रमश: **अनुलग्नक-1 और अनुलग्नक-2 में** दी गई है:

(ख): पिछले वर्ष 2023-24 और चालू वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कमीशन किए गए खुदरा बिक्री केन्द्रों और सीएनजी स्टेशनों की संख्या नीचे दी गई है:-

	कमीशन किए गए खुदरा बिक्री केन्द्रों(पेट्रोल पंप) की संख्या		कमीशन किए गए सीएनजी स्टेशनों की संख्या	
क्षेत्र	2023-24	2024-25 (अप्रैल-फरवरी, 25)	2023-24	2024-25 (अप्रैल-जनवरी, 25)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	146	198	140	73

(ग) से (ङ): पीएसयू ओएमसीज के पास दो खुदरा बिक्री केन्द्र हैं-एक छत्तरपुर और एक भाटी क्षेत्र में। इसके अलावा पीएसयू ओएमसीज ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) सहित देश भर में वर्ष 2023 में नए खुदरा बिक्री केन्द्रों को खोलने के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। उक्त विज्ञापन के तहत छत्तरपुर और भाटी क्षेत्र में पीएसयू ओएमसीज द्वारा 5 स्थलों का विज्ञापन दिया गया है। इसके लिए अब तक 01 स्थल के लिए आशय-पत्र (एलओआई) जारी किया गया है।

पीएनजीआरबी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) को प्राधिकृत किया है। आईजीएल ने बताया है कि आईजीएल छत्तरपुर से भाटी खनन तक के खंड में 01 सीएनजी स्टेशन का प्रचालन कर रहा है। इसके अलावा आईजीएल ने उक्त खंड में 03 सीएनजी सुविधाओं की स्थापना करने के लिए आशय पत्रों को जारी कर दिया है। इसके अतिरिक्त छत्तरपुर मेट्रो स्टेशन के नजदीक इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड के 01 आरओ में भी सीएनजी सुविधाएं हैं।

***

अनुलग्नक – 1

'दिल्ली में नए पेट्रोल पंप/गैस स्टेशन खोलना' के बारे में संसद सदस्य श्री उज्जवल रमण सिंह द्वारा दिनांक 03.04.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5456 के भाग (क) उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक			
पिछले वर्ष 2023-24 और चालू वर्ष 2024-25 (अप्रैल-फरवरी, 25) में देश में चालू किए गए खुदरा बिक्री केंद्रों (पेट्रोल पंपों) की राज्य/संघ शासित प्रदेश वार संख्या			
क्र.सं.	**राज्य/संघ शासित प्रदेश**	चालू किए गए खुदरा बिक्री केंद्र (पेट्रोल पंप)	
		2023-24	**2024-25 (अप्रैल-फरवरी,25)**
1	अंडमान और निकोबार	0	0
2	आंध्र प्रदेश	115	245
3	अरुणाचल प्रदेश	7	67
4	असम	44	93
5	बिहार	86	128
6	चंडीगढ़	2	0
7	छत्तीसगढ़	57	171
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	4
9	दिल्ली	1	1
10	गोवा	3	5
11	गुजरात	138	358
12	हरियाणा	129	203
13	हिमाचल प्रदेश	17	72
14	जम्मू और कश्मीर	32	60
15	झारखंड	40	142
16	कर्नाटक	228	398
17	केरल	79	77
18	लद्दाख	3	1
19	लक्षद्वीप	0	0
20	मध्य प्रदेश	168	366
21	महाराष्ट्र	241	332
22	मणिपुर	11	9
23	मेघालय	11	14

24	मिजोरम	9	6
25	नागालैंड	24	27
26	ओडिशा	67	173
27	पुदुचेरी	10	10
28	पंजाब	61	104
29	राजस्थान	254	332
30	सिक्किम	4	6
31	तमिलनाडु	213	352
32	तेलंगाना	162	213
33	त्रिपुरा	16	16
34	उत्तर प्रदेश	586	844
35	उत्तराखंड	34	52
36	पश्चिम बंगाल	53	193
कुल		**2905**	**5074**

स्रोत –पीएसयू ओएमसी

'दिल्ली में नए पेट्रोल पंप/गैस स्टेशन खोलना' के बारे में संसद सदस्य श्री उज्जवल रमण सिंह द्वारा दिनांक 03.04.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5456 के भाग (क) उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले वर्ष 2023-24 और चालू वर्ष 2024-25 (अप्रैल-जनवरी, 25) में देश में चालू किए गए खुदरा बिक्री केंद्रों (पेट्रोल पंपों) की राज्य/संघ शासित प्रदेश वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	कमीशन किए गए सीएनजी स्टेशन	
		2023-24	2024-25 (अप्रैल-जनवरी, 25)
1	आंध्र प्रदेश	28	10
2	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु	7	4
3	असम	17	5
4	बिहार	36	40
5	बिहार और झारखंड	13	3
6	बिहार और उत्तर प्रदेश	13	- 1*
7	चंडीगढ़ (यूटी), हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश	2	8
8	छत्तीसगढ	9	16
9	दादरा एवं नगर हवेली (यूटी)	- 1*	0
10	दमन और दीव (यूटी)	1	0
11	दमन और दीव और गुजरात	0	1
12	गोवा	0	2
13	गुजरात	5	27
14	हरियाणा	96	44
15	हरियाणा और हिमाचल प्रदेश	0	4
16	हरियाणा और पंजाब	3	0
17	हिमाचल प्रदेश	5	3
18	झारखंड	25	8
19	कर्नाटक	79	55
20	केरल	28	47
21	केरल और पुडुचेरी	4	13
22	मध्य प्रदेश	75	35
23	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	2	0
24	मध्य प्रदेश और राजस्थान	4	2

25	मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश	4	0
26	महाराष्ट्र	149	82
27	महाराष्ट्र और गुजरात	11	5
28	महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश	7	0
29	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (यूटी)	11	8
30	ओडिशा	39	24
31	पुदुचेरी	1	8
32	पुडुचेरी और तमिलनाडु	0	0
33	पंजाब	12	14
34	पंजाब और राजस्थान	1	5
35	राजस्थान	70	52
36	तमिलनाडु	126	58
37	तेलंगाना	34	21
38	तेलंगाना और कर्नाटक	3	7
39	त्रिपुरा	0	4
40	जम्मू और कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश	1	1
41	उत्तर प्रदेश	204	75
42	उत्तर प्रदेश और राजस्थान	5	3
43	उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	3	4
44	उत्तराखंड	5	5
45	पश्चिम बंगाल	59	31
कुल योग		**1196**	**733**

* बंद

स्रोत - पीएनजीआरबी (न्यायालय में विचाराधीन, विवादित और लंबित मामलों सहित)

****